16

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3958-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-9-2014- पारित द्वारा - नायव तहसीलदार ठप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर - प्रकरण कमांक 6 अ-13/2009-10

शिवनारायण पुत्र जगन्नाथ कुम्हार
ग्राम हसनपुर तिनोनिया
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर -----आवेदक

विरूद्ध

1- काशीराम पुत्र भॅवर जी
2- दरशनसिंह पुत्र भॅवरजी
3- परवत सिंह पुत्र खुशीलाल चौरसिया
ग्राम हसनपुर तिनोनिया
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर ---अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री एस0के0गुरोलिया)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एम0एल0जोशी)

आ दे श

(आज दिनांक 02-11 -2017 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार ठप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर के प्रकरण कमांक 6 अ-13/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 23-9-14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-1 ने नायव तहसीलदार के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन

देकर मांग की कि ग्राम हसनपुर तिनोनिया की आराजी कमांक 560/2 पर पूर्व से शासकीय भूमि होने से रास्ता है तथा वाप दादा के समय से उक्त रास्ता अपने कृषि रकबे में कृषि उपकरण, मवेशी, गाड़ी बेलगाड़ी आदि लाने ले जाने में उपयोग करता रहा है, किन्तु शिवनारायण पुत्र जगन्नाथ ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया है इसलिये आने जाने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रारंभिक जॉच एंव सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 23-9-14 पारित किया तथा आवेदक को आवागमन के लिये उत्तरी सीमा में से स्थल नजरी नक्शा मुताविक अस्थाई रास्ता खुला रखने के आदेश दिये एंव प्रकरण आवेदक की साक्ष्य के लिये नियत किया। नायव तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि विवादित स्थल का दिनॉक 22-8-2014 को स्थल निरीक्षण किया गया है तथा मौके पर नजरी नक्शा एंव पंचनामा भी बनाया गया है। नायव तहसीलदार ने आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 15-7-14 एंव आपत्तिकर्ता की आपत्ति दिनांक 8-9-14 का विश्लेषण करते हुये अभिमत व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 560/1 एंव 560/2 काशीराम, दर्शन सिंह के स्वामित्व की भूमियां हैं एंव सर्वे कमांक 560/3 अनावेदक शिवरारायण के स्वामित्व की भूमि है। स्थल निरीक्षण में आवेदक के स्वामित्व की भूमि ख.क. 560/1 एंव 560/2 तक पहुंचने के लिये मुख्य रास्ता सड़क से ख.कं. 611 की उत्तरी सीमा से बैलगाड़ी आने जाने के निशान पाये गये। इसके आगे ख.क. 647/560, 560/2, 560/3, 560/1 की उत्तरी सीमा में स्थल नजरी नक्शा मुताविक डेस लायन से प्रदर्शित स्थान से आवेदक को कृषि कार्य हेतु अस्थाई रास्ता दिये जाने का अभिमत है। मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 रास्ते के सुखाचार की व्यवस्था करती है । किसी भी कृषक को अपने खेत तक पहुंचने, हल - बखर आदि कृषि उपकरण ले जाने से यदि अन्य कृषक रोक लगाता है संहिता की

धारा 131 के अंतर्गत पीड़ित कृषक के पास तदाशय का उपचार प्राप्त करने का अधिकार रहता है। जब मौके भूमि ख.क. 560/1 एंव 560/2 तक पहुंचने के लिये मुख्य रास्ता सड़क से ख.कं. 611 की उत्तरी सीमा से बैलगाड़ी आने जाने के निशान पाये गये हैं स्पष्ट है नायव तहसीलदार द्वारा अस्थाई व्यवस्था स्वरूप दिया गया आदेश उचित है। वैसे भी सभी हितबद्ध पक्षकारों को नायव तहसीलदार के समक्ष पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है क्योंकि नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 23-9-14 से अस्थाई व्यवस्था करके प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया है जिसके कारण नायव तहसीलदार के आदेश में फेर-बदल की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार ठप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर द्वारा प्रकरण कमांक 6 अ-13/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 23-9-14 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर